Govt. [NAVEEN] Arts & Commerce College, Bhopal

NAAC Accredited Grade 'B'

Webinar on

Basics of Intellectual Property Rights

05-Dec-2020 | **12:00 Noon - 1:30 P.M.**

SPEAKER-1



Dr. Ajay Kumar Bhardwaj

Prof. (Botany) Inst. For Excellence in Higher Education, Bhopal (M.P.)

SPEAKER-2



Prof. Manish Sharma

Prof. (Economics) Inst. For Excellence in Higher Education, Bhopal (M.P.)



Dr. M. S. Raghuwanshi

Additional Director, Bhopal



Dr. Rajiv Choube

Principal, Govt. (NAVEEN) Arts & Commerce College, Bhopal



Dr. Kalpana Jha

Prof. English & HOD
IQAC Co-Ordinator



Dr. Rita Sachdev

Prof. Commerce
Secretary

+91 98937 20665 +91 98260 27933 hegaccbho@mp.gov.in

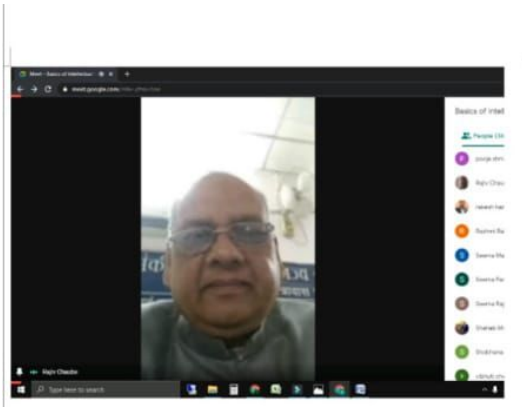

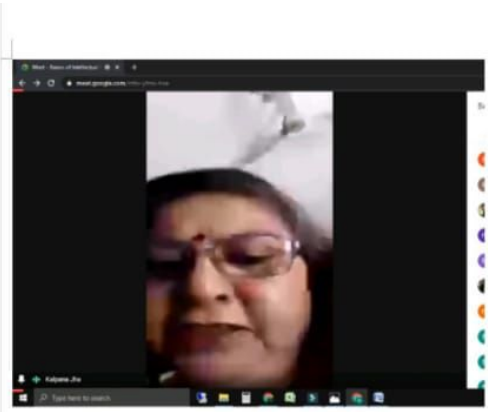


Ajay Kumar Bhardwaj is presenting

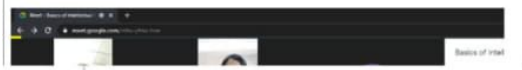



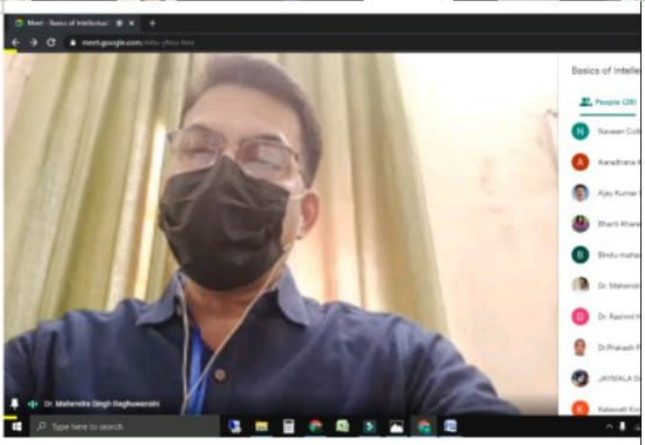



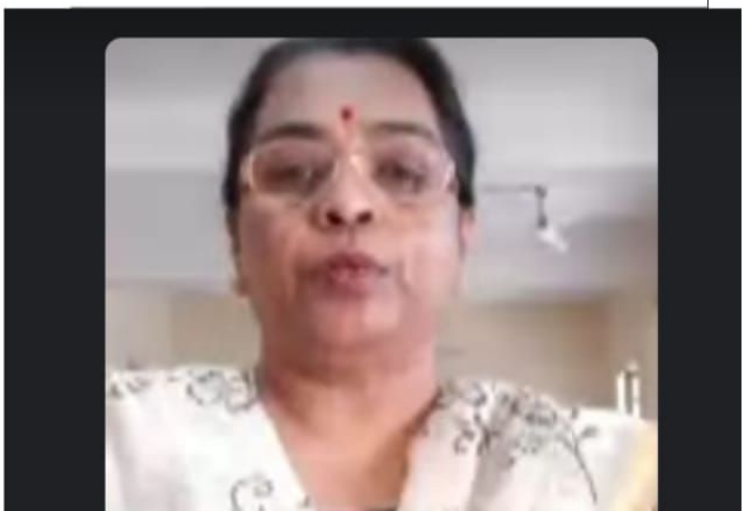



बौद्धिक संपदा विषय पर वेबिनार का आयोजन

बौद्धिक संपदा से जुड़े कोर्सेस शुरू करने का सुझाव

भोपाल(आरएनएन)। शनिवार को राजधानी के शासकीय कला एवं वाणिज्य नवीन महाविद्यालय में बौद्धिक संपदा अधिनियम की मूल बातें विषय पर वेबीनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के प्रभारी प्रचार्य राजीव चौबे के द्वारा किया गया। इस मौके पर नैक प्रभारी एवं वेबिनार की समन्वयक डॉ. कल्पना इत ने अतिथियों का परिचय दिया। वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉ. अजय कुमार भारद्वाज अध्यापक वनस्पति शास्त्र उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान द्वारा अपने प्रजेंटेशन के माध्यम से बताया कि, बौद्धिक संपदा क्या है, तथा उनके द्वारा पेटेन्ट, कॉपीराइट एवं अधिनियम के बारे में काफी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।



कार्यक्रम के विशेष वक्ता डॉ. मनीष शर्मा प्राध्यापक अर्थशास्त्र द्वारा बताया कि हम लोकल के लिए वोकल या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में देश के उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिनियम के तहत शोधों का पेटेंट करवाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे तिब्बत की स्थानीय जनजातियों ने औषधिय पौधों से जुड़े ज्ञान को पेटेंट करवाया है। शर्मा ने यह भी कहा कि, उच्च शिक्षण संस्थानों में बौद्धिक संपदा से जुड़े ज्ञान की जानकारी मिलने का सीधा फायदा यहाँ अध्ययन करने वाले छात्रों को भी होगा, जो कि आगे चलकर अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। उन्होंने संस्थानों में बौद्धिक संपदा से जुड़े अध्ययनों को अपनाने और इससे जुड़े कोर्सेस भी शुरू करने का सुझाव दिया। विषय विशेषज्ञों के मुताबिक छात्र इसे आगे चलकर व्यवसाय के तौर पर भी अपना सकते हैं।

कार्यक्रम में डॉ. एम. एस. रघुवंशी, आंतरिक संचालक, उच्च शिक्षा, नर्मदापुरम संभाग, द्वारा अपने संबोधन में बौद्धिक संपदा विषय पर आयोजित इस वेबिनार को अत्यंत उपयोगी बताया गया, उन्होंने कहा कि, इससे प्राध्यापकों, छात्रों और समाज को भी लाभ मिलेगा, और बौद्धिक संपदा को लेकर जागरूकता आएगी। वेबिनार का संचालन आराधना पूर्वे द्वारा किया गया, अतिथियों का आभार डॉ. कलावती कोठी ने व्यक्त किया।

"दैनिक पृथ्वीलहर" दिनांक 5.12.2020

वेबिनार : बौद्धिक संपदा का पेटेंट जरूर कराएं संस्थान

भोपाल(नवदुनिया रिपोर्टर)। शासकीय कला एवं वाणिज्य नवीन महाविद्यालय में शनिवार को 'बौद्धिक संपदा अधिनियम की मूल बातें' विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. राजीव चौबे ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ. अजय कुमार भारद्वाज ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बौद्धिक संपदा और उसके पेटेंट, कॉपीराइट एवं अधिनियम के बारे में बताया।

कार्यक्रम के विशेष वक्ता डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि हम लोकल के लिए वोकल या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए बौद्धिक संपदा अधिनियम के अंतर्गत शोध को पेटेंट कराना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने बताया कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में जनजाति द्वारा औषधीयों पौधों के प्रयोग से चिकित्सा की जाती थी। यह ज्ञान तिब्बत से आया था। इन पौधों का वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद वहां की जनजाति के मुंपा नाम से इसे पेटेंट कराया गया है। इसी प्रकार हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्र अपने आसपास की संस्कृति एवं संसाधनों का अनुसंधान करके इसका पेटेंट करवा सकते हैं। आगे उन्होंने बताया कि अनुसंधान के लिए बौद्धिक संपदा अधिनियम का उच्च शिक्षा संस्थानों में बढ़ावा देने पर जो सांस्कृतिक वातावरण बनेगा उसका लाभ यहां से शिक्षित हुए छात्र सेवा क्षेत्र में जाने पर समाज व देश को प्रदान करेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग के संभागीय अतिरिक्त संचालक डॉ. एमएस रघुवंशी ने संबोधन में कहा कि इस वेबिनार से प्राध्यापक एवं छात्रों में अधिनियम के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ेगी। इससे महाविद्यालय को नैक में फायदा होगा।

"नवदुनिया" दिनांक 6.12.2020

वेबीनार में दी बौद्धिक संपदा अधिनियम की जानकारी

स्वदेश संवाददाता, भोपाल



शासकीय कला एवं वाणिज्य नवीन महाविद्यालय में बौद्धिक संपदा अधिनियम की मूल बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबीनार का आयोजन किया गया। वेबीनार का शुभारंभ कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉ. राजीव चौबे ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉ. अजय भारद्वाज अध्यापक वनस्पति शास्त्र उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान द्वारा अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि बौद्धिक संपदा क्या है तथा उनके द्वारा पेटेन्ट, कॉपीराइट एवं अधिनियम के बारे में काफी विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी। कार्यक्रम के विशेष वक्ता डॉ. मनीष शर्मा प्राध्यापक अर्थशास्त्र उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान भोपाल के द्वारा बताया कि हम लोकल के लिए वोकल या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए बौद्धिक संपदा अधिनियम के अंतर्गत शोध को पेटेंट स्थिति में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए बौद्धिक संपदा अधिनियम के अंतर्गत की शोध को पेटेंट करवाना किस तरह से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जनजाति द्वारा औषधीयों पौधों के प्रयोग से चिकित्सा की जाती थी, यह ज्ञान तिब्बत से आया था इन पौधों का वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद वहां की लोकल जनजाति के मुम्पा नाम से इसे पेटेंट करवा कर वह कल करवाया गया इसी प्रकार हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्र अपने आसपास के फैशन संस्कृति एवं संसाधनों का अनुसंधान करके इसका पेटेंट करवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि हमारे समाज में प्रचलित जुगाड़ तकनीक यदि, पर्यावरण मनुष्य या प्राणियों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है तो उसे पेटेंट कर सकते हैं। कार्यक्रम में डॉ. एम एस रघुवंशी, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा नर्मदा पुरम संभाग ने अधिनियम के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन आराधना धुर्वे द्वारा किया गया तथा अतिथियों का आभार डॉ. कलावती कोरी द्वारा व्यक्त किया गया।

"स्वदेश दैनिक" समाचार पत्र दिनांक 6.12.2020